

**कार्यालय:- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रामदत्त जोशी राजकीय
संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल**

फोन नं.- 05947-253374 E-mail- chramnagar@rediffmail.com

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या :- 129/XXVII(7)32/2007 देहरादून दिनांक 14 जुलाई, 2017 के अनुसार रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर जिला नैनीताल हेतु वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिये जीवन रक्षक औषधि, रसायन सर्जिकल उपकरण, सामग्री सम्पूर्ति, ऑर्थोपेडिक इम्प्लान्ट, एक्स-रे तथा सीटी स्कैन फिल्म एवं अन्य सामग्री, अल्ट्रासाउण्ड, डेन्टल तथा ईएनटी हेतु सामग्री एवं अन्य सामग्री (दर अनुबन्ध, डीजीएस एण्ड डीईएसआईसी सेन्ट्रल गर्बनमेन्ट अण्डर टेकिंग फर्म की दरों को छोड़कर) के क्रय हेतु पंजीकरण दिनांक 22.07.2026 से 31.03.2027 तक होना है। इच्छुक फर्म/ठेकेदार आवेदन पत्र किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क जमा कर केन्द्रीय औषधि भण्डार, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर जिला नैनीताल से प्राप्त कर सकते हैं।

पंजीकरण की अन्तिम तिथि दिनांक 04.08.2026 समय दोपहर 02:00 बजे तक है। उक्त तिथि के उपरान्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार विमर्श नहीं किया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
पत्रांक संख्या- एन-01/फर्म रजिस्ट्रेशन/2026-27/616 दि. 22.07.2026 रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर